राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2887/2025

सुमन कुमारी

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक (अराजपत्रित) सह अतिरिक्त निदेशक (प्रशासनिक) पंचायती राज चिकित्सा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सीकर।
4. प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पिपराली प्रभारी, सीकर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 23.05.2025
आदेश की दिनांक : 09.06.2025

अपीलार्थी की ओर से : श्री सुनील कुमार सिंगोदिया, अधिवक्ता

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलो के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी की सेवाएं दिनांक 15.01.2025 के आदेश द्वारा नर्सिंग ऑफिसर पीएचसी पिपराली सीकर (राजस्थान) से पीएचसी थानागाजी, जिला अलवर (राजस्थान) में स्थानांतरित कर दी गई हैं। अपीलार्थी का नाम क्रमांक 56 पर है। दिनांक 15.01.2025 के आदेश में अपीलार्थी का नाम सुमन कुमावत के रूप में उल्लेख किया गया था जबकि सेवा रिकॉर्ड के अनुसार अपीलार्थी का नाम सुमन कुमारी है। इसलिए दिनांक 15.01.2025 का आरोपित स्थानांतरण आदेश बिना सोचे–समझे और केवल अपीलार्थी के स्थान पर निजी प्रतिवादी को समायोजित करने के लिए पारित किया गया है। अपीलार्थी को 16.05.2025 एवं 15.0.2025 सीएचसी पिपराली और सीकर जिले में नर्सिंग ऑफिसर के रूप में जारी रखने की अनुमति दी गई। उसके बाद दिनांक 16.05. 2025 के संशोधित आदेश द्वारा संशोधित किया गया जिसके द्वारा आंशिक संशोधन किया गया और कहा गया कि अपीलार्थी का नाम सुमन कुमावत के स्थान पर सुमन कुमारी के पढ़ा जाए। आदेश दिनांक 16.05.2025 के अनुसरण में अपीलार्थी को दिनांक 21.05.2025 के आदेश के अनुसार विवादित आदेश 4 माह से अधिक समय बाद कार्यमुक्त किया गया। (अनुलग्नक–1,2 एवं 3) दिनांक 04.01.2022 के आदेश के तहत सुशीला नामक नर्सिंग

अधिकारी को अपीलार्थी के स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया था, इसलिए अपीलार्थी ने अधिकरण के समक्ष अपील दायर की और अधिकरण ने दिनांक 04.01.2022 के आदेश पर रोक लगा दी। दिनांक 15.11.2022 के आदेश के अनुपालन में अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.11.2022 के अनुसार अपीलार्थी को सीएचसी पिपराली में कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति दी गई। (अनुलग्नक–5) अपीलार्थी की माँ हृदय रोगी है तथा एसएमएस अस्पताल, जयपुर से नियमित उपचार ले रही है। (अनुलगनक–6)

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावे कि अपीलार्थी के संबंध में जारी आदेश दिनांक 15.01.2025, 16.05.2025 एवं 21.05.2025 को अपास्त फरमाया जावे एवं अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान पर निरंतर कार्यरत रखा जावे।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी अपील में अंकित तथ्यों के आधार पर प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहती है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अपनी परिवेदना प्रस्तुत कर सके।

अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आदेश से आगामी दो सप्ताह की अवधि में सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के नियमों/ दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी दो सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य